Form–III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

हनुमानमल बनाम **सुरेन्द्र कुमार**

फौजदारी प्रकरण संख्या – 382/2014, (सी.आई.एस. संख्या– 07/2015)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.07.2015	परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री कालुराम उप.। अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार अनुपस्थित, की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता श्री संदीप भोजक पेश हुआ, जो स्वीकार किया जाता है। इस आदेश के जरिए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 269(एस)(एस) व धारा 260(टी) आयकर अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा दो लाख रुपये नगद उधार दिये जाने का कथन किया गया है। आयकर अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तीस हजार रुपये की राशि का नगद उधार संव्यवहार नहीं कर सकता है, लेकिन परिवादी द्वारा दो लाख रुपये की राशि का वर्ष 2014 में विधि विरुद्ध रूप से नगद लेन–देन किया जाना बेमानी संव्यवहार की श्रेणी में शुमार होता है। अंत में प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु आयकर विभाग को प्रेषित किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना जाहिर किया। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवदेन किया तथा इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/परिवादी ने दौराने बहस न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण के विचारण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली, हस्तगत प्रार्थना–पत्र का परिशीलन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद में अभियुक्त को दो लाख रुपये नगद उधार दिया जाना बताया है, जो कि आयकर अधिनियम के नियमों के विरुद्ध है, जिसके तहत हस्तगत प्रकरण को आगामी सुनवाई हेतु आयकर विभाग में भेजे जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में	

सिविल न्यायाधीश
एवम् न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सरदारशहर (चूरू)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण चैक संख्या 605255 के अनादरण के संबंध में विशिष्ट विधि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त विधि के तहत उक्त प्रकरण हस्तगत न्यायालय में चलने लायक ना हो ऐसा कोई तर्क विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं रहा है। जहां तक आयकर अधिनियम के नियमों के विपरीत संव्यवहार किये जाने का संबंध है तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम विभाग है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ऐसे किसी विधि प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं करवाया गया है, जिसके तहत न्यायालय का यह समाधान हो पाता कि चैक अनादरण के मामलों में आयकर अधिनियम के नियमों का उल्लंघन होन के स्थिति में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत परिवाद को सुनने का अधिकार हस्तगत न्यायालय को प्राप्त ना होकर आयकर विभाग को प्राप्त हो। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है। फलतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 269(एस)(एस) व धारा 260(टी) आयकर अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण न्यायालय में सन् 2014 से लम्बित है तथा दिनांक 15.01.2015 से निरंतर साक्ष्य परिवादी के प्रक्रम पर नियत है। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है तथा माननीय उच्चत्तम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के हस्तगत प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के दिशा–निर्देश है। अधिवक्ता परिवादी को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी पर साक्ष्य परिवादी में गवाह आवश्यक रूप से असालतन उपस्थित रखा जावे तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह की उपस्थित की सुरत में गवाह से आवश्यक रूप से जिरह पूर्ण की जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी में दिनांक 19.07.2025 को पेश हो। (निधि बेनीवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला चूरू सिविल न्यायाधीश एवम् न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदारशहर (चुरू)	